न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 78/2016

1. उमर पुत्र स्व0 युसुफ सैयद उम्र 52 साल जाति खोकर
2. जैनूल आबेदीन उम्र 48 साल पुत्र स्व0 युसुफ सैयद जाति खोकर
   समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 8 सरकारी टंकी के पास मोहल्ला व्यापारियान कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0

... वादीगण

<u>बनाम</u>

1. इम्तियाज पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 45 वर्ष जाति खोकर
2. रफीक पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 41 वर्ष जाति खोकर
3. अबू बकर पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 39 वर्ष जाति खोकर
4. शफीक पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 37 वर्ष जाति खोकर
5. अनीस पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 35 वर्ष जाति खोकर
6. श्रीमती जुबेदा पत्नी स्व0 इंकलाब उम्र 65 वर्ष जाति खोकर
   समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 8 सरकारी टंकी के पास मोहल्ला व्यापारियान कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0
7. नदीम पुत्र स्व0 सरवर सैयद
8. नईम पुत्र स्व0 सरवर सैयद
9. नबील पुत्र स्व0 सरवर सैयद
10. अब्दुल कदीर पुत्र स्व0 सरवर सैयद
11. युसुफ पुत्र स्व0 सरवर सैयद
12. श्रीमती ताहीरा पत्नी स्व0 सरवर सैयद
13. फातिमा उफ ताहीरा पुत्री सरवर सैयद
14. सबैया
15. सुल्ताना
16. फरजाना
17. मैनाज
    पुत्रीयां सरवर सैयद समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण वार्ड नं. 8 सरकारी टंकी के पास मोहल्ला व्यापारियान कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0
18. तहसीलदारजी फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

......प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर (राज0)

वाद पत्र बाबत उद्घोषणा एवं राजस्व रिकार्ड में संशोधन अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 रा0भू0 रा0 अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

श्री राजकुमार शर्मा – वादीगण
श्री हरिकिशन – प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः– 23.04.2018

वादीनीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 145/1 रकबा 0.97 है0, खसरा नम्बर 146/1 रकबा 1.28 है0 वाके रघुनाथपुरा तहसील फतेहपुर में अवस्थित है जिसे इस वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीगण एवं प्रतवादी संख्या 1 से 10 के पिता एवं पति सरवर एवं इंकलाब के पिता स्व0 युसुफ पुत्र सुलेमान के नाम से दर्ज है। वंशावली के अनुसार स्व0 युसुफ पुत्र सुलेमान के चार पुत्र हुये जिनमें सबसे बड़े सरवर उसके पश्चात इंबलाब उसके पश्चात उमर एवं सबसे छोटा जैनूल आबेदीन है जिनमें से सरवर एवं इंकलाब का देहान्त हो चुका है सरवर के वारिस प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 17 है तथा स्व0 इंकलाब के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 6 है।

वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाहमी विभाजन में तथा पारिवारिक सेटलमेंट दिनांक 07.05.2007 के अनुसार वादीगण के हक एवं हिस्से में आया है तथा वादग्रस्त भूमि पर सेटलमेंट के अनुसरण में वादीगण काबिज चले आ रहे है तथा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण की ही कब्जा एवं काश्त है।

वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर खरीफ की फसल कमशः बाजरा, मूंग, ग्वार एवं तिल की फसल पिछले 8 वर्षों से लगातार हर साल काश्त करते हैं तथा पिछली सीजन में भी वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर बाजरा, गवार एवं मूंग की फसल काश्त की तथा लाट एवं बाट की। वादग्रस्त भूमि के खड़ी जांटियों की लूंग पातड़ी की छंगाई भी वादीगण ही करते है तथा खेत के चारों तरफ वादीगण ने अपने खर्चे से तारबन्दी कर तथा पुख्ता गेट अपने खर्चे से लगा रखे हैं तथा खेत का विकास किया है।

प्रतिवादीगण की फैमिली सेटलमेंट से आबद्ध है तथा प्रतिवादीगण को इस बात की जानकारी है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के हिस्से में आने से उससे उनका कोई लेन देन एवं सम्बन्ध सरोकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर (राज॰)

वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम करवा दो किन्तु प्रतिवादीगण टालते चले आ रहे है तथा दिनांक 10.05.2016 को प्रतिवादीगण ने वादीगण के नाम खातेदारी बनवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया है इस कारण वाद दायर करना आवश्यक हुआ है। फैमिली सेटलमेंट में वादग्रस्त भूमि वादीगण के हिस्से में आ जाने से वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अपने नाम बहिस्सा बराबर बनवाने के अधिकारी है इस कारण तद हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 145/1 रकबा 0.97 है0, खसरा नम्बर 146/1 रकबा 1.28 है0 कुल रकबा 2.26 है0 वाके कस्बा फतेहपुर का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार उदघोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादी की ओर से हरिकिशन एड. ने वकालतनामा तथा जवाब दावा पेश किया। पत्रावली का भली– भांति अवलोकन किया गया। बहस सुनी गयी एवं मनन किया गया। अतः वाद डिक्री किया जाता है कि कस्बा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 145/1 रकबा 0.97 है0, खसरा नम्बर 146/1 रकबा 1.28 है0 कुल रकबा 2.26 है0 का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार उदघोषित किया जाने तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास............रेनू मीणा (आर.ए.एस..)..

1. उमर पुत्र स्व0 युसुफ सैयद उम्र 52 साल जाति खोकर
2. जैनूल आबेदीन उम्र 48 साल पुत्र स्व0 युसुफ सैयद जाति खोकर समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 8 सरकारी टंकी के पास मोहल्ला व्यापारियान कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0

...वादीगण

<u>बनाम</u>

1. इम्तियाज पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 45 वर्ष जाति खोकर
2. रफीक पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 41 वर्ष जाति खोकर
3. अबू बकर पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 39 वर्ष जाति खोकर
4. शफीक पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 37 वर्ष जाति खोकर
5. अनीस पुत्र स्व0 इंकलाब उम्र 35 वर्ष जाति खोकर
6. श्रीमती जुबेदा पत्नी स्व0 इंकलाब उम्र 65 वर्ष जाति खोकर समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 8 सरकारी टंकी के पास मोहल्ला व्यापारियान कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0
7. नदीम पुत्र स्व0 सरवर सैयद
8. नईम पुत्र स्व0 सरवर सैयद
9. नबील पुत्र स्व0 सरवर सैयद
10. अब्दुल कदीर पुत्र स्व0 सरवर सैयद
11. युसुफ पुत्र स्व0 सरवर सैयद
12. श्रीमती ताहीरा पत्नी स्व0 सरवर सैयद
13. फातिमा उफ ताहीरा पुत्री सरवर सैयद
14. सबैया
15. सुल्ताना
16. फरजाना
17. मैनाज पुत्रीयां सरवर सैयद समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण वार्ड नं. 8 सरकारी टंकी के पास मोहल्ला व्यापारियान कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0 जिला सीकर राज0
18. ~~तहसीलदारजी~~ फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

......प्रतिवा

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर (राज०)

वाद पत्र बाबत उद्घोषणा एवं राजस्व रिकार्ड में संशोधन अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 रा0भू0 रा0 अधिनियम

मुकदमा नं...78.......................सन्...2016..

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे..

व हाजिरी...श्री राजकुमार शर्मा एडवोकेट.......................मिनजानिब मुदई रूबरू.......श्री हरिकिशन.......

...............................मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि कस्बा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 145/1 रकबा 0.97 है0, खसरा नम्बर 146/1 रकबा 1.28 है0 कुल रकबा 2.26 है0 का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार उदघोषित किया जाने तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेगे।

निज........– ....मुबलिग................–.....................बाबत.......................–.....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह...............–.........................फीसदी सालाना आज की तारीख से

तरीख अदायगी तक..का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....23.......माह ......अप्रेल..........सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत..
उपखण्ड अधिकारी

ओहदा...
फतेहपुर सीकर (राज०)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	0	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	–		मुतफरिक	–	
मीजान	3			1	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं